नवभारत
(23.05.2015)

पेंशन पाने भटक रही नेत्रहीन बालिका

बरेली 22 मई (ससे). ग्राम पंचायत समनापुर जागीर की नेत्र हीन बच्ची सुमन बाई पुत्री खुशीलाल कडेरा उम्र 22 साल को पूर्व में 150 रूपये प्रतिमाह शासन द्वारा पेंशन दी जाती थी, जो पिछले दस माह से उक्त पेंशन से वंचित है. जबकि जिला मेडीकल बोर्ड रायसेन द्वारा पूर्णतः दृष्टि बाधित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है.

उसके बाद भी आज तक उसे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उक्त बालिका को मुहैया नहीं कराई गई है. दृष्टिबाधित बच्ची के पिता गरीब आदमी हैं और उक्त पेंशन का बच्ची को बहुत बडा सहारा था जिससे वह वंचित होने से असहाय महसूस कर रही है. साथ ही ग्राम समनापुर जागीर में रखी गई ग्राम सभा में भी उसके परिजनों द्वारा दस माह से पेंशन ना मिलने की शिकायत की गई. 40 वर्षीय विधवा मुन्नी बाई धानक को भी लगभग 1 वर्ष से पेंशन नहीं मिली है.

नियुक्ति की आस लिए भटक रहा शिक्षक

सिलवानी. योग्यता होने के बावजूद भी शिक्षक को हिंदी विषय के बीएसी के पद पर नियुक्त न कर ऐसे शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई जिसके पास ना तो योग्यता है और न ही वरिष्ठता सूची में नाम. बीएसी के पद पर नियुक्ती से वंचित रहे अनुसूचित जन जाति वर्ग के अध्यापक लोकेश कुमार धुर्वे ने बताया कि हिंदी विषय के बीएसी के पद के लिए उसके पास संबंधित समस्त योग्यताए है. साथ ही वरिष्ठता व काउसलिंग सूची में भी उसका नाम 21 वे नंबर पर दर्ज है. लेकिन 24 नंबर पर दर्ज सामान्य वर्ग के अजीत श्रीवास्तव अध्यापक को बीएसी के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ती दे दी गई. चयनित बीएसी श्रीवास्तव को पूर्व में जनशिक्षक भी नियुक्त किया जा चुका है. लेकिन उनके अनुबंध का समय भी पूरा नही हुआ है. श्री धुर्वे के मुताबिक राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार इन पदो में पर बरेष्ठा के आधार पर चयन किया जाता है. लेकिन उनके साथ पक्षपात नीति अपनाई जाकर पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी बीएसी के पद पर नियुक्ती से वंचित किया गया.